**शिकायत अपील प्रकरण क्रमांक सी/761/2013**

**श्री डी0के0 सोनी,** — **शिकायतकर्ता**
अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट,
नवापारा मिश्रा आटा चक्की के पास,
अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)

**विरूद्ध**

**श्री विवेक आचार्य,** — **अनावेदक कं0 01**
जनसूचना अधिकारी/वनमंडलाधिकारी,
सरगुजा वनमंडल, अबिंकापुर,
जिला सरगुजा (छ0ग0)

**श्री एच0एस0 कपासी,** — **अनावेदक कं0 02**
प्रथम अपीलीय अधिकारी/वन सरंक्षक,
वन वृत्त, अबिंकापुर,
जिला सरगुजा (छ0ग0)

**—:: आदेश ::—**
**(पारित दिनांक : 27/09/2014)**

यह शिकायत, शिकायतकर्ता श्री डी0के0 सोनी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 18 के अंतर्गत अनावेदक कं0 01 श्री विवेक आचार्य, जनसूचना अधिकारी/वनमंडलाधिकारी सरगुजा वनमंडल, अबिंकापुर, जिला सरगुजा तथा अनावेदक क्र0 02, एच0एस0 कपासी, प्रथम अपीलीय अधिकरी/वन सरंक्षक, वन वृत्त, अबिंकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि शिकायतकर्ता ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 6.8.2013 प्रस्तुत कर अनावेदक से जानकारी मांगी थी। सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपील दिनांक 7.9.13 अनावेदक कं0 02 के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायत के अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 8.10.13 को सुनवाई के लिए बुलाया था एवं 07 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे परंतु आदेश की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा 45 दिवस में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही कोई आदेश पारित किया गया। इसलिए शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम अपील में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए प्रथम अपीलीय अधिकारी छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय डी0के0एस0 भवन के पत्र क्रमांक एफ 2—11/2006/1—6 रायपुर दिनांक 20 जुलाई 2007 के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम अपीलों का समयावधि में निराकरण करें। शिकायत में लिखा गया है कि जानकारी निःशुल्क प्रदान कराई जाये तथा

विलंब से जानकारी प्रदान करने के कारण धारा 20(1)एवं धारा 19(8) के तहत् 25,000/– की शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की मांग की है।।

अनावेदक क्रमांक 01 ने प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है :–

1. आवेदक द्वारा दिनांक 7.8.13 को आवेदन प्राप्त हुआ।
2. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूअ0/13/758 दिनांक 6.9.13 के द्वारा पंजीकृत डाक के द्वारा दिनांक 12.9.13 को अवलोकन करने हेतु लेख किया गया।
3. आवेदक द्वारा दिनांक 12.9.13 को अवलोकन करने के लिए अनुपस्थित थे।
4. आवेदक द्वारा दिनांक 12.9.13 को प्रथम अपील वन सरंक्षक सरगुजा वन वृत्त अबिंकापुर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।
5. कार्यालय का पत्र क्रमांक/सू0अ0/2138 दिनांक 20.11.2013 को आवेदक को पंजीकृत डाक द्वारा जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है।

जवाब के साथ उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 6.9.13 तथा 20.11.13 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि पत्र दिनांक 6.9.13 द्वारा अपीलार्थी को यह सूचित किया गया था कि राजस्थान बिजली बोर्ड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर) को उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल ब्लॉक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव अंतर्गत कार्यवाही की गई है। प्रकरण अंतर्गत भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली तथा तथा छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग रायपुर द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की प्रति एवं प्रकरण से संबंधित जानकारी छ0ग0 शासन वन विभाग की अधिकृत वेबसाईट http://www.cgforest.com एवं http://www.fmisonline.org उपलब्ध है। साथ में यह भी सूचित किया गया था कि जानकारी 50 पृष्ठ से अधिक होने के कारण दिनांक 12.9.13 को कार्यालीयन समय में उपस्थित होकर अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता ने जो जानकारी मांगी थी वह विकासखंड उदयपुर के कोल ब्लॉक– परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल ब्लॉक के संबध में थी और वन भूमि पर कोल खनन, वनों की कटाई एवं उनका सग्रंहण एवं प्लांटेशन के संबंध में किन सड़को पर अनुमति प्रदान की गई है, के संबंध में राज्य सरकार एवं भारत सरकार से अनुमति के पत्र की प्रतिलिपि चाही थी। उपरोक्त 6.9.13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने शिकायतकर्ता/ आवेदक को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने वेबसाईट का हवाला देकर सूचित किया था कि जानकारी उसमें उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की स्वयं जानकारी प्रकाशित करनी होती है जिसका उददेश्य है कि आम लोगों को वह जानकारी उपलब्ध हो सके और उसे अधिनियम के अंतर्गत मांगने की आवश्यकता न हो। इस मामले में भी अनावेदक ने वांछित सूचना से संबंधित जानकारी वेबसाईट में होने की बात शिकायतकर्ता/आवेदक को बता भी दी थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि वे अवलोकन कर सकते हैं। अर्थात् यह भी कहा जा सकता है कि अनावेदक क्रं0 01 ने कोई जानकारी नहीं दी। बाद में प्रथम अपील में पारित आदेश के पालन

में दिनांक 20.11.13 को वांछित जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपियां शिकायतकर्ता/आवेदक को प्रदान भी कर दी गई। अतः अनावेदक क्रमांक 01 की कार्यवाही सद्भाविक पाई जाती है उनके विरूद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई जाती है।

शिकायत यह भी है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 19 में उल्लेखित प्रथम अपील के निराकरण की अधिकतम 45 दिवस की अवधि में प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया और न ही कोई आदेश पारित किया। अनावेदक क्रं0 01 के जवाब के साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी/वन सरंक्षक सरगुजा वृत्त द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 114/2013 में पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। यह आदेश दिनांक 7.11.2013 को अनावेदक क्रं0 01 तथा शिकायतकर्ता/आवेदक को पृष्ठांकित है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने शिकायतकर्ता/ अपीलार्थी को आदेश की प्रतिलिपि नहीं भेजी थी प्रतिलिपि उन्हें पृष्ठांकित है। यह अलग बात है कि वह शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि प्रथम अपील के आदेश में ऊपर आदेश पारित करने का दिनांक अंकित नहीं है केवल आदेश का पृष्ठांकन दिनांक 7.11.13 दर्शाया गया है। प्रथम अपील की सुनवाई हेतु जो अंतिम सूचना पत्र सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया है वह दिनांक 8.10.13 की सुनवाई के लिए है। शिकायतकर्ता ने भी शिकायत में यह उल्लेख किया है कि उन्हें 8.10.13 को सुनवाई हेतु बुलाया गया था और उसी दिन 07 दिवस में चाही जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया था। इससे यही लगता है कि मौखित आदेश निर्धारित अवधि में सुना दिया गया परंतु यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि लिखित आदेश 45 दिवस की निर्धारित में पारित हुआ है या नहीं। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी को संदेह का लाभ दिया जाता है। परंतु इस आदेश की प्रतिलिपि प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जाये कि वे भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों के पालन में अंतर्गत सावधानी बरतें।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अग्रिम कोई कार्यवाही आवश्यक न पाते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तद्नुरूप।

**सही/–**
**( जवाहर श्रीवास्तव )**
**राज्य सूचना आयुक्त**